न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, RAS.

पत्रावली संख्या : 265/25 (विविध प्रार्थना पत्र)

जीसीएमएस नम्बर : 2025/778

उनवान

1. रामलाल पुत्र श्री धन्ना जी गुर्जर जाति गुर्जर, आयु वयस्क, निवासी वाजमिया, तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)

.................प्रार्थी

बनाम

1. श्री/सुश्री/श्रीमती अमरती बाई पुत्री श्री चतरभूज जी गुर्जर जाति गुर्जर, आयु वयस्क, निवासी वाजमिया, तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)
2. श्रीमती गेन्दीबाई पत्नि श्री चतरभुज जी गुर्जर जाति गुर्जर, आयु वयस्क, निवासी वाजमिया, तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)
3. श्री छगनलाल पुत्र श्री चतरभुज जी गुर्जर जाति गुर्जर, आयु वयस्क, निवासी वाजमिया, तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)
4. श्री/सुश्री/श्रीमती नानीबाई पुत्री श्री चतरभुज जी गुर्जर जाति गुर्जर, आयु वयस्क, निवासी वाजमिया, तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)
5. श्री भेरूलाल पुत्र श्री चतरभुज जी गुर्जर जाति गुर्जर, आयु वयस्क, निवासी वाजमिया, तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)
6. श्री भंवरलाल पुत्र श्री चतरभुज जी गुर्जर जाति गुर्जर, आयु वयस्क, निवासी वाजमिया, तहसील मावली जिला पदयपुर (राज०)
7. श्री मांगीलाल पुत्र श्री चतरभुज जी गुर्जर जाति गुर्जर, आयु वयस्क, निवासी वाजमिया, तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)
8. श्री सुखलाल पुत्र श्री चतरभुज जी गुर्जर जाति गुर्जर, आयु वयस्क, निवासी वाजमिया, तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)
9. श्री कैलाश पुत्र श्री नानालाल जी गुर्जर जाति गुर्जर, आयु वयस्क, निवासी वाजमिया, तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)
10. श्री भागीरथ पुत्र श्री नानालाल जी गुर्जर जाति गुर्जर, आयु वयस्क, निवासी वाजमिया, तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०) 10
11. श्रीमती राजु बाई पत्नि श्री नानालाल जी गुर्जर जाति गुर्जर, आयु वयस्क, निवासी वाजमिया, तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)
12. श्री प्रतापसिंह बाघेला पुत्र श्री नाथुसिंह जी जाति राजपुत, आयु वयस्क, निवासी वाजमिया, तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)
13. श्री पुरणसिंह बाघेला पुत्र श्री सज्जनसिंह जी जाति राजपुत, आयु वयस्क, निवासी वाजमिया, तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)
14. श्री पुष्पा कुंवर पत्नि श्री ईन्द्रसिंह जी जाति राजपुत, आयु वयस्क, निवासी वाजमिया, तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)
16. पटवारी पटवार हल्का गोलवाड़ा, तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 16:00:18 IST
Reason: SelfAttested

................विपक्षीगण

उपस्थित :– 1. श्री हीरालाल, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री भाविन जैन, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 से 8 ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम
निर्णय

दिनांक : 23.03.2026

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा वाजमिया, पटवार हल्का गोलवाड़ा तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०) के आराजी नम्बर 4259/2733 किता 1 कुल रकबा 1.5704 हैक्टेयर भूमि मुझ प्रार्थी के नाम पर स्वतंत्र खातेदारी अधिकार से दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी की उक्त भूमि के पड़ौस में विपक्षीगण की भूमि स्थिति है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद होने की संभावना है। इसलिए उक्त कृषि भूमि की चारो सीमाओ का सीमांकन कर पत्थरगड़ी कराना आवश्यक है ताकि भविष्य में मेरी खातेदारी की भूमि की सीमा को लेकर विपक्षीगण से किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न नही हो। अंत में निवेदन किया कि मुझ प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्व निम्न आशय का आदेश फरमाया जावें कि उक्त वर्णित कृषि भूमि के पूर्व व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण दिशा की सीमा की पत्थरगडी कराई जाकर सीमांकन करवाया जावें तथा विपक्षी संख्या 01 से 14 को पांबद किया जावें कि वो प्रार्थी के हिस्से में आने वाली आराजीयात में कोई दखलन्दाजी नहीं करें तथा प्रार्थी को शांति पूर्वक उपयोग, उपभोग करने देवें।
2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 15, 16 आवश्यक औपचारिक पक्षकार होने से राजपैराकार तहसीलदार द्वारा जवाब पेश नही करना चाहा। विपक्षी संख्या 1 से 8 को जवाब का पर्याप्त समय दिए जाने के पश्चात भी जवाब पेश नही करने से जवाब का अवसर बंद किया गया। विपक्षी संख्या 13, 14 स्वयं उपस्थित होकर पत्थरगड़ी किये जाने पर कोई आपत्ति नही होना जाहीर किया। विपक्षी संख्या 9 से 12 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस को समायत किया तथा दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के तथ्यों पर मनन् किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचें है कि मौजा वाजमिया पटवार हल्का गोलवाड़ा तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या [illegible]4 [illegible] दर्ज आराजी नम्बर 4259/2733 किता 1 कुल रकबा 1.5704 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी [illegible] नाम खातेदारी अधिकार से दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 16:00:18 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी अनुसार उक्त आराजीयात में विपक्षीगण का कोई हक हिस्सा निहित नही है। प्रार्थी द्वारा केवल मात्र प्रकरण अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि की पत्थरगड़ी करवाने हेतु प्रस्तुत किया है। यह प्रकरण कब्जा प्राप्त करने संबंधी नही है। केवल मात्र प्रार्थीगण के नाम दर्ज भूमि का सीमांकन कर पत्थरगड़ी की जानी है। साथ ही उक्त भूमि का सीमांकन कर पत्थरगड़ी कर दी जाती है तो प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य सीमा संबंधी विवाद नही रहेगा। इसलिये प्रार्थी को अपनी खातेदारी हक की आराजियात की पत्थरगड़ी कराने का पूर्ण अधिकार है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है ।

: : आदेश : :

4. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर पत्थरगड़ी कराने बाबत 1000/–रूपये शुल्क पर तहसीलदार मावली को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा वाजमिया पटवार हल्का गोलवाडा तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 314 पर दर्ज आराजी नम्बर 4259/2733 किता 1 कुल रकबा 1.5704 हैक्टेयर भूमि का पुख्ता सीमांकन कर चारो दिशाओ की सीमा पर पत्थरगड़ी की जावे। पत्थरगड़ी करने से पूर्व प्रार्थीगण, विपक्षीगण/ पड़ौसी खातेदारो को सूचना पत्र जारी किये जावे। यथासंभव पत्थरगडी प्रार्थीगण, विपक्षीगण/ पड़ौसी खातेदारो की उपस्थिति में की जावे। साथ ही उभय पक्षो को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में केवल मात्र सीमांकन कर पत्थरगडी की जानी है। उक्त आदेश केवल मात्र पत्थरगड़ी किये जाने का दिया गया है। उक्त निर्णय के संदर्भ में एक दूसरे को कब्जे से बेदखल करने या जबरन कब्जा प्राप्त करने का प्रयास नही करें। पत्थरगड़ी करने के पश्चात उभय पक्षो का कब्जे संबंधी मौके पर विवाद पाया जाता है तो इस संबंध में सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। फीस कमिश्नर प्रार्थी मौके पर अदा करें।
5. तहसीलदार मावली को लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।
6. निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया ।

(रमेश सीरवी पुनाडिया) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी मावली
जिला उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 16:00:18 IST
Reason: SelfAttested